राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–122 / 2023

संजय यादव (कर्मचारी आई.डी.– आरजेजेजे202023004240)

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, गृह(विधि) विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 06.01.2023
आदेश की दिनांक : 18.01.2023

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

2. इस अपील में अपीलार्थी द्वारा स्थानांतरण आदेश दिनां 04.01.2023 को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण कार्यालय सहायक निदेशक अभियोजन, झुंझुनू से कार्यालय सहायक निदेशक अभियोजन, हनुमानगढ किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि प्रत्यर्थी संख्या–4 नवीन कुमार का स्थानांतरण अपीलार्थी के स्थान पर किया गया है। उक्त स्थानांतरण किये जाने का कोई प्रशासनिक कारण नहीं है। केवलमात्र प्रत्यर्थी संख्या–4 को अनुचित लाभ देने की दृष्टि से वर्तमान स्थानांतरण किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा है कि अपीलार्थी 17.03.2020 के आदेश के आधार पर कार्यालय सहायक निदेशक अभियोजन अधिकारी सी.जे.(जे.डी.)जे.एम. चिडावा में कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्य कर रहा है, लेकिन उसे गलत रूप से कार्यालय सहायक अभियोजन झुंझूनू में पदस्थापन दर्शाते हुए स्थानांतरण किया गया है। अपीलार्थी वर्तमान में कार्यालय सहायक निदेशक अभियोजन, झुंझुनू में कार्यरत नहीं है वह चिड़ावा में कार्यरत है और उसे सक्षम अधिकारी द्वारा 17.03.2020 के आदेश द्वारा

पदस्थापन किया गया है। ऐसे में बिना मस्तिष्क का प्रयोग किये स्थानांतरण आदेश जारी किया गया है, जो अपास्त किये जाने योग्य है।

3. हमने अपीलार्थी द्वारा दिये गए तर्कों पर विचार किया। अपीलार्थी की मुख्य रूप से यह आपत्ति रही है कि अपीलार्थी को आलौच्य आदेश में कार्यालय सहायक निदेशक अभियोजन झुंझूनू में पदस्थापित दिखाया गया है, जबकि अपीलार्थी कार्यालय सहायक निदेशक अभियोजन अधिकारी सी.जे.(जे.डी.)जे. एम. चिडावा में कार्यरत है। इस प्रकार बिना मस्तिष्क का प्रयोग किये वर्तमान पदस्थापन गलत दर्शाते हुए स्थानांतरण किया गया है। हमने अपीलार्थी की उपरोक्त आपत्तियों पर विचार किया। पूर्व में आदेश दिनांक 06.03.2020 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन कार्यालय सहायक निदेशक अभियोजन झुंझुनू में किया गया था एवं सहायक निदेशक अभियोजन झुंझूनू में ही बाद में दिनांक 17.03.2020 को उनका पदस्थापन चिड़ावा किया। अपीलार्थी मूल रूप से कार्यालय सहायक निदेशक अभियोजन, झुंझूनू में ही कार्यरत है एवं सहायक निदेशक अभियोजन झुंझुनू ने ही अपने अधीनस्थ कार्यालय में अपीलार्थी को आदेश दिनांक 17.03.2020 से पदस्थापित किया है, क्योंकि जहां पर अपीलार्थी पदस्थापित है, वह कार्यालय सहायक निदेशक अभियोजन, झुंझुनू के अधीनस्थ ही है। ऐसे में आलौच्य आदेश में कोई त्रुटि प्रकट नहीं होती है। ऐसा कोई आधार हमारे समक्ष नहीं है कि निजी प्रत्यर्थी को लाभ देने की दृष्टि से अपीलार्थी का स्थानांतरण किया गया हो।

4. उपरोक्त विवेचना के आधार पर इस अपील में कोई बल नहीं होने से अपील खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)